न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या : 76/2020

निर्णय

बउनवानः–

अब्दुल हमीद उर्फ छीतर पुत्र श्री बशीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

....प्रतिवादी

वकील वादी : श्री विकास पोरवाल

दायरा दिनांकः 31.08.2020

निर्णय दिनांक : 17.08.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 281 खसरा नं0 4809/5663 रकबा 0.80 है0 व खाता संख्या 282 खसरा नं0 4811/5819 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल में व आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 36/130 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 36/136 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम बालापुरा उदपुरिया तह0 मांगरोल में स्थित है तथा आराजी खाता संख्या 58 खसरा नं0 167/1087 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम पाकलखेडा तह0 मांगरोल में स्थित है। जिनमें वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी का नाम छीतर पुत्र बशीर दर्ज हो रहा है। वादी के अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड में वादी का नाम अब्दुल हमीद पुत्र बशीर मोहम्मद व अन्य खाता आराजी संख्या 14 की किता 4 रकबा 0.73 है0 ग्राम सीसवाली में रेकार्ड में वादी का नाम अब्दुल हमीद उर्फ छीतर पुत्र बशीर मोहम्मद दर्ज हो रहा है वादी को छीतर व अब्दुल हमीद के नाम से जानते है। तथा छीतर व अब्दुल हमीद एक ही व्यक्ति के नाम है हसलिए वादी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अपना नाम छीतर पुत्र बशीर के स्थान पर अब्दुल हमीद उर्फ छीतर पुत्र बशीर मोहम्मद दर्ज करवाना चाहता है। नाम गलत होने से वादी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। अतः उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नाम दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 31.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2021/212 दिनांक

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

19.04.2021 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम सीसवाली में मुताबिक राजस्व रेकार्ड खाता संख्या 14 खसरा नं0 कमशः 5514, 5515, 5516 व 5517 कुल किता 4 रकबा 0.73 है0 हिस्सा 1/2 तथा खाता संख्या 281 खसरा नं0 4809/5663 रकबा 0.80 है0 एवं खाता संख्या 282 खसरा नं0 4811/5819 रकबा 0.20 है0 पर वादी का नाम कमशः अब्दुल हमीद उर्फ छीतर पुत्र बशीर हिस्सा 1/2 छीतर पुत्र बशीर व छीतर मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद दर्ज है। मुताबिक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम अब्दुल हमीद पुत्र बशीर मोहम्मद दर्ज है अतः सही नाम अब्दुल हमीद दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 17.08.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत सीसवाली आदि से भी वादी का सही नाम अब्दुल हमीद उर्फ छीतर पुत्र बशीर मोहम्मद होना जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह वादी स्वयं व सहखातेदार ईस्माइल मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 17.08.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर आराजी आराजी खाता संख्या 281 खसरा नं0 4809/5663 रकबा 0.80 है0 व खाता संख्या 282 खसरा नं0 4811/5819 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम सीसवाली तह0 मांगरोल में व आराजी खाता संख्या 13 खसरा नं0 36/130 रकबा 0.73 है0, खसरा नं0 36/136 रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम बालापुरा उदपुरिया तह0 मांगरोल तथा आराजी खाता संख्या 58 खसरा नं0 167/1087 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम पाकलखेडा तह0 मांगरोल के राजस्व रेकार्ड में छीतर पुत्र बशीर के स्थान पर अब्दुल हमीद उर्फ छीतर पुत्र बशीर मोहम्मद दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned with CamScanner